झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत)–पलामू/PDS –02/2022 - 319

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 19.03.2024

विषयः– **पलामू जिला के नावाबाजार प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशन कार्डधारियों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराये जाने के आरोप से संबंधित परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्रीमती रीना देवी, जिला परिषद सदस्य, प्रखण्ड नावाबाजार, पलामू का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है, जो पलामू जिला के नावाबाजार प्रखण्ड के PDS डीलरों द्वारा लाभुकों को ससमय खाद्यान्न नहीं दिये जाने के आरोप से संबंधित है। परिवादी का आरोप है कि इस संबंध में PDS डीलरों से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया जाता है कि गोदाम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि गोदाम से खाद्यान्न उठाव ऑनलाईन कर दिया जाता है किन्तु विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न नहीं मिलने की बात कही जाती है। यह भी कि PDS विक्रेताओं को ई–पॉस मशीन से रिसीव कर वितरण करने का दबाव बनाया जाता है। परिवादी द्वारा उक्त मामले में गोदाम मैनेजर एवं PDS डीलरों की संलिप्तता से अनाज की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए उक्त मामले की जांच हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/3/24

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx723

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

जिला परिषद

प्रखण्ड - नावाबाजार, पलामू

रीना देवी

जिला परिषद सदस्य

मो० : 9534119945, 9128779880

आवास -

ग्राम - चेचरिया, पो० - भंडार

पं०- बसना, थाना - नावाबाजार

पलामू (झारखण्ड)

पत्रांक 53/A......

दिनांक 11/03/2024.

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय,

पलामू।

विषय:-प्रखंड नावाबाजार के पीडीएस विक्रेताओं द्वारा कार्ड धारी को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रखंड नावाबाजार के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं द्वारा लाभुको को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। विक्रेताओं द्वारा कई माह से लाभुक द्वारा अंगूठा लगाकर खाद्यान्न बाद में देने की बात कहा जाता है। विक्रेताओं से पूछे जाने पर यह बात सामने आता है कि गोदाम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है,आएगा तो मिलेगा । जनवरी फरवरी व मार्च तक भी उपलब्ध नहीं हुआ है। सभी विक्रेताओं का खाद्यान्न गोदाम ऑनलाइन डाटा प्राप्त दिखता है। लेकिन उनसे पूछे जाने पर माल नहीं मिलने की बात कही जाती है। कई विक्रेताओं बिना खाद्यान्न मिले सिर्फ अंगूठा लगाकर पर्ची निकाल दिया जाता है। और अन्य विक्रेताओं से बात करने पर पता चला कि गोदाम से खाद्यान्न उठाव का ऑनलाइन कर दिया जाता है। और विक्रेताओं को पॉस मशीन से रिसीव कर वितरण करने का दबाव बनाया जाता है।कुछ विक्रेता इसमें शामिल भी हैं। इसे यह प्रतीत होता है। की गोदाम मैनेजर और कुछ विक्रेताओं के द्वारा मिली भगत से खाद्यान्न की कालाबाजारी का खेल खेला जा रहा है यह जांच का विषय है कि खाद्यान्न का समय से वितरण नहीं होने में कौन-कौन दोषी हैं।

अतः श्रीमान से आग्रह है की कालाबाजारी में सम्मिलित व्यक्तियों को जांच कर कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें।

विश्वासभाजन,

रीना देवी